न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री मांगीलाल रेगर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 1/2019 (अपील) दायर दिनांक– 21.2.2019

निर्णय दिनांक – 23.7.19

अनवान

1– श्री सुखलाल पिता श्री कूरा ब्राम्हण निवासी लिमडी तहसील सागवाडा (अपीलाण्ट)

बनाम

1– श्रीमती गायत्री पुत्री सुखलाल ब्राम्हण
2– श्रीमती गीतान्जली पूत्री सुखलाल ब्राम्हण
3– श्रीमती वीणा पूत्री सुखलाल ब्राम्हण निवासी लिमडी तहसील सागवाडा
4– राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार सागवाडा (रेस्पोडेण्ट्स)

वकील अपीलाण्ट – श्री शेलेन्द्र जेन
वकील रेस्पोडेण्ट – श्री कौशिक पाटीदार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लीमडी अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 1395 दिनांक 16.6.2018

निर्णय

अपील अपीलाण्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 अपीलार्थी की लडकियां है । अपीलार्थी ने मौजा लिमडी के अपने खाता नम्बर 507 में से खसरा नम्बर 2954,2980,2991/1 व 3025 को जरिये दस्तावेज बक्षीसनामा दिनांक 21.8.2017 को विपक्षी संख्या 1 से 3 के हक में बक्षीस कर दी है तथा मौके पर उक्त खसरा नम्ब्रों का कब्जा भी विपक्षी संख्या 1 से 3 को सुपुर्द कर दिया है परन्तु विपक्षी संख्या 1 से 3 ने पटवारी हल्का लिमडी से मिलकर गलत तथ्य बताते हुए गलत तरिके से अपीलार्थी द्वारा की गई बक्षीस में वर्णित खसरा नम्बर के अलावा अन्य खसरा नम्बर 2954,469,471 व 825 पर तथ्य की भूल कर व गलत शपथ पत्र पेश कर अन्य खसरा नम्बर 2954,2980,2991/1 व 3025की जमीन की भूमि का नामान्तरकरण दस्तावेज विकय बताकर खुलवाकर पारित करवा दिया जबकि जो विधि एवं तथ्यों के विपरित है । यह कि विपक्षी संख्या 4 ने नामान्तरकरण निष्पादित कर स्वीकृत करने के पूर्व अपीलार्थी के द्वारा किये गये रजिस्टर्ड बक्षीस नामा के बारे में बिना किसी जांच पडताल के बक्षीस नामा में वर्णित खसरा नम्बरों के अलावा अपीलार्थी के अन्य खसरा नम्बरों का विकय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण निष्पादित कर स्वीकृत करने में भारी भूल की है जो काबिल अपास्त के है ।

अप्रार्थी नं0 1 से 3 के पिता अपीलार्थी ने मोजा लिमडी के खसरा नम्बर 2956,469,471,

23.7.19

Scanned by CamScanner

825का कोई विक्रय विलेख निष्पादित नही किया है । अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1395 दिनांक 16.6.2018 को अपास्त किए जाने निवेदन किया गया है ।

अपीलार्थी द्वारा अपील की पुष्टि मे शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अपील के संलग्न दस्तावेज नामान्तरकरण ,नकल जमाबन्दी एंव रजिस्टर्ड दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट्स को जवाब प्रस्तुत करने नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में नामान्तरकरण संख्या 1395 दिनांक 16.8.2018 को खारीज योग्य होना बताया है ।

रेस्पोडेण्ट का जवाब प्रस्तुत होने पर वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित पैरोकार की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण संख्या 1395 अपास्त किए जाने का निवेदन कर बहस समाप्त की । रेस्पोडेण्ट की ओर से भी अपनी बहस में उल्लेखित तथ्य को दोहराते हुए अपील स्वीकार योग्य होकर नामान्तरकरण निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी तथा पैरोकार की बहस पर मनन किया ।

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी नकल संवत 2072मोजा लिमडी का खाता संख्या 507 में खसरा नम्बर 2954,,2980,2991/1,3025 खातेदार सुखलाल पिता कुरा के नाम से दर्ज रेकार्ड है । एवं खातेदार सुखलाल के द्वारा दिनांक 21.8.2017 को उक्त खाता संख्या 507 की आराजी नम्बर 2954,2980,2991/1,3025 को वीणा,गायत्री ,गीतान्जली को बक्षीस किया गया है। उक्त बक्षीसनामा दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण दायर नही होकर खसरा नम्बर 2956,469,471,825 का दर्ज किया गया है ।उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण बक्षीस नामा दस्तावेज के अनुसार दर्ज नही होकर खसरा नम्बर अलग है ।

अत: नामान्तरकरण संख्या 1395 दिनांक 16.8.2018 मौजा लिमडी निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार सागवाडा को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान को पुन: सुन व जांच कर नामान्तरकरण दर्ज करें ।

निर्णय आज दिनांक 23.7.19 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

23.7.19

(मांगीलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

Scanned by CamScanner